

| <p>तारीख हुकम</p> | <p>दुआराम ५५ जे ली देवी हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> | <p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p> |
|-----------------------|---|---|
| <p>24/3/26</p> | <p>अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधिवक्ता अपीलान्त पूर्वदेशों की पाठना करे। पत्रावली दिनांक 24/3/26 को पेश हो।</p> | |
| <p>24/4/26</p> | <p>अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधिवक्ता अपीलान्त पूर्वदेशों की पाठना करे। पत्रावली दिनांक 24/4/26 को पेश हो।</p> | |
| <p>24/5/26</p> | <p>अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधिवक्ता अपीलान्त पूर्वदेशों की पाठना करे। पत्रावली दिनांक 24/5/26 को पेश हो।</p> | |
| <p>26/5/26</p> | <p>अधिवक्ता अपीलान्त अनु.। अधिवक्ता अपीलान्त व अपीलान्त को न्यायालय की ओर से धार-धार अपाने लगायी गयी। लेकिन इनकी ओर से कोई श्री उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण में मोडेरिना दिनांक 24/4/26 द्वारा अधिवक्ता अपीलान्त को रेस्पो. सं. उ के पुन. लदी फते के पंजीकृत समन पेश किये ह्ये निर्दिष्ट किया गया, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्त को पर्याप्त अवलोकन दिये जाने के बावजूद जनसूचक आदिनांक उक्त रेस्पो. के पंजीकृत समन पेश किये, जो न्यायालय अधेशों की अवहेलना की होगी में धारा है। अतः अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा न्यायालय अधेशों की तकमील नयी किये जाने के उक्त अपील अदम हाजरी। चैरवी। तकमील में धारिन की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही के लिये सुमा ए होकर दायित्व संतर हो।</p> | |